रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 99] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 1973/फाल्गुन 29, 1894
No. 99] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 1973/PHALGUNA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, 20th March, 1973

S.O. 157(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information:—

DECLARATION

Election to the Council of States by the Elected members of the Bihar Legislative Assembly.

"In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of Section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961 I declare that Shri Kamalnath Jha, of Sipahi Tola, P. O. Purnea, District Purnea has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Balkrishna Gupta.

Place.—Bihar Legislative Assembly Building.

Date.—15th, March, 1973.

(Sd/-) VISHWANATH MISHRA,
Returning Officer & Secretary, Bihar Legislative Assembly".

[No. F. 13(2)/73-Leg.II.]

S. HARIHARA IYER, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1973

का० आ० 157(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

घोषणा

बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य-सभा के लिए उप–निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उप–धारा (2) में अन्तर्विष्ट उप–बन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि श्री बालकृष्ण गुप्त की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए सिपाही टोला, डाकखाना पूर्णिमा, जिला पूर्णिमा के श्री कमलनाद झा, सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।"

स्थान—बिहार विधान सभा भवन

दिनांक—15 मार्च, 1973 ।

(ह०) विश्वनाथ मिश्र,
रिटर्निंग आफीसर एवं मंत्री,
बिहार विधान सभा ।"

[सं० एफ० 13(2)/73–वि० II]

एम० हरीहर अय्यैर,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973